

विषय : निवास स्थान पर सरकारी टेलीफोन के अभाव के कारण प्राइवेट टेलीफोन को सरकारी टेलीफोन में बदलना।

क्या सभी विस्तार्युक्त एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. कुछ विभागों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं कि उनके अधिकारियों के निवास स्थान पर लगे प्राइवेट टेलीफोन से सरकारी टेलीफोन घोषित कर दिया जाए क्योंकि दूरसंचार विभाग को टेलीफोन लगाने में देरी लग रही है और सरकारी कार्यों में बाधा पड़ रही है। मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि इस विभाग की हिदायतों के अनुसार जो अधिकारी निवास स्थान पर टेलीफोन की सुविधा के पात्र हैं, लेकिन किसी कारणवश सरकारी टेलीफोन उपलब्ध होने में देरी हो रही है, तो जब तक सरकारी टेलीफोन उपलब्ध न हो तब तक सम्बन्धित अधिकारी के निजी/प्राइवेट टेलीफोन को सरकारी टेलीफोन घोषित करने की कार्यवाही करने के लिए प्रशासकीय सचिव को क्षमता होगी।

उप-सचिव (पी० एण्ड एस०)

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गृहण तथा लेखन सामग्री विभाग।

सेवा में

सभी विस्तार्युक्त एवं प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा।